



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-25112025-267960
CG-MH-E-25112025-267960

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 766]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 25, 2025/अग्रहायण 4, 1947

No. 766]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 25, 2025/AGRAHAYANA 4, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 25 नवम्बर, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(अनुसंधान विश्लेषक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/277.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा ।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 में,-

I. विनियम 7 में,

i) उप-विनियम (1) में,

क. शब्दों तथा चिह्नों “अनुसंधान विश्लेषक के भागीदारों (यदि कोई हों)” के बाद और शब्दों “के पास सदैव” से पहले शब्द तथा चिह्न “या अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों” जोड़े जाएंगे;

ख. खंड (i) और खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएंगे, अर्थात्,-

“(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से अथवा किसी दूसरे देश के मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था या संघ (असोसिएशन) से स्नातक की डिग्री या उसके बराबर की कोई शैक्षणिक योग्यता (अर्हता) अथवा सीएफए इंस्टिट्यूट की ओर से प्रदान किया गया सीएफए चार्टर, और राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एन.आई.एस.एम.) से या एन.आई.एस.एम. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संगठन या संस्था से हासिल किया गया संबंधित प्रमाणपत्र; या

(ख) एन.आई.एस.एम. से प्रतिभूति बाजार (अनुसंधान विश्लेषण) [सिक्यूरिटीज़ मार्केट (रिसर्च एनालिसिस)] का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम या एन.आई.एस.एम. से ऐसा कोई अन्य प्रोग्राम, जो बोर्ड बताए ।”

ii) उप-विनियम (2) हट जाएगा ।

iii) उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(3) इन विनियमों के तहत रजिस्टर एकल (इंडिविजुअल) अनुसंधान विश्लेषक, ‘एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल) अनुसंधान विश्लेषक’ के मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर), अनुसंधान विश्लेषक के तौर पर नियुक्त व्यक्तियों, अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़े व्यक्ति और यदि अनुसंधान विश्लेषक एक भागीदारी फर्म (पार्टनरशिप फर्म) हो तो उसके भागीदारों (पार्टनर) [जो अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाएँ प्रदान करने में जुटे हों] को, यथास्थिति, मौजूदा प्रमाणपत्र की मान्यता की अवधि समाप्त होने से पहले या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की तारीख से तीन वर्षों के भीतर एन.आई.एस.एम. का वह संबंधित प्रमाणपत्र फिर से हासिल करना होगा जिसके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए, ताकि प्रमाणपत्र से संबंधित अपेक्षाओं का सदैव पालन सुनिश्चित होता रहे।”

II. पहली अनुसूची में, प्ररूप-क (फॉर्म-क) में,

i) अनुदेश-2 में,-

क. शब्दों तथा चिह्नों “आवेदक को यह प्ररूप (फॉर्म) पूरा भरना चाहिए, और इसे बोर्ड को इसके मुंबई में स्थित प्रधान कार्यालय में समस्त समर्थक दस्तावेजों के साथ” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “आवेदक को यह पूरा फॉर्म भरना होगा, और इसे सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अनुसंधान विश्लेषकों का पर्यवेक्षण आदि करने के उद्देश्य से बोर्ड से मान्यताप्राप्त बॉडी (निकाय) या बॉडी कारपोरेट” आ जाएंगे;

ख. शब्दों “प्रस्तुत करना चाहिए” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “के पास प्रस्तुत करना होगा या यदि ऐसी किसी बॉडी या बॉडी कारपोरेट को मान्यता प्रदान न की गई हो, तो बोर्ड के पास प्रस्तुत करना होगा” आ जाएंगे।

ii) मद-1 में,

क) खंड (क) में, शब्द तथा चिह्न “फैक्स संख्या (संख्याएँ),” हट जाएंगे;

ख) खंड (घ) में, शब्दों तथा चिह्नों “संपर्क व्यक्ति (व्यक्तियों)” के बाद चिह्न तथा शब्द “, अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) और मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर)” आ जाएंगे ।

iii) मद-2 में,

क) खंड (ख) में, शब्दों “पते का सबूत” के स्थान पर शब्द “पते के ब्यौरे” आ जाएंगे;

ख) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्, -

“(घ) अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों की संख्या

[उनके ब्यौरे दें, और साथ ही अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़े ऐसे व्यक्तियों की योग्यता से संबंधित जरूरी दस्तावेजों की प्रतियाँ (जो उनके द्वारा स्वयं-प्रमाणित की जाएँ) भी प्रस्तुत करें] ।”

ग) खंड (छ) और (ज) हट जाएंगे ।

iv) मद-4 के स्थान पर निम्नलिखित मद आ जाएगी, अर्थात्,-

“4. जरूरी बुनियादी सुविधाएँ (इन्फ्रास्ट्रक्चर) होने के संबंध में घोषणा

यह घोषणा कि आवेदक के पास अनुसंधान विश्लेषक के कार्य कारगर ढंग से करने हेतु जरूरी बुनियादी सुविधाएँ (इन्फ्रास्ट्रक्चर) हैं ।”

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./502/2025-26]

पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/07/1414, द्वारा 1 सितम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 तत्पश्चात्,-

- क. 8 दिसम्बर, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा
- ख. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- ग. 16 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (संशोधन) विनियम 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/09, द्वारा
- घ. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
- ङ. 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/115, द्वारा
- च. 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा
- छ. 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/137, द्वारा
- ज. 17 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/146, द्वारा
- झ. 26 अप्रैल, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (संशोधन) विनियम 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/170, द्वारा
- ञ. 19 अगस्त, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (दूसरा संशोधन) विनियम 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/199, द्वारा
- ट. 16 दिसम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (तीसरा संशोधन) विनियम 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/220, द्वारा
- ठ. 6 अगस्त, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (संशोधन) विनियम 2025, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2025/252, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 25th November, 2025

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (RESEARCH ANALYSTS)
(SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2025**

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/277.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 read with clause (b) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, namely: —

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) (Second Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014 –

I. In Regulation 7,

i) in sub-regulation (1),

a. after the words “engaged in research services” and before the words “shall have the following”, the words “or persons associated with research services” shall be inserted;

b. clause (i) and (ii) shall be substituted with following, namely-

“(a) A graduate degree or any equivalent educational qualification from a university or institution recognized by the Central Government or any State Government or a recognised foreign university or institution or association or CFA Charter from the CFA Institute, and relevant certification from NISM or from any other organisation or institution accredited by NISM; or

(b) A Post Graduate Program in the Securities Market (Research Analysis) from NISM or any other program of NISM as may be specified by the Board.”

ii) sub-regulation (2) shall be omitted.

iii) sub-regulation (3) shall be substituted with the following, namely –

“(3) An individual registered as research analyst under these regulations, a principal officer of a non-individual research analyst, individuals employed

as research analyst, person associated with research services and in case of the research analyst being a partnership firm, the partners thereof if any, who are engaged in providing research services, shall obtain a fresh relevant NISM certification as specified by the Board from time to time before expiry of the validity of the existing certification or within three years from the date of registration certificate, as the case may be, to ensure continuity in compliance with certification requirements.”

II. In First Schedule, in Form A,

i) in Instruction 2, -

- a. after the words “supporting documents” and before the words “to the Board”, the words “to the body or body corporate recognised by the Board for the purpose of administration and supervision of research analysts or” shall be inserted;
- b. the words “at its head office at Mumbai” shall be substituted with the words and symbols “, if no such body or body corporate is recognized”.

ii) in item 1,

- a) in clause (a), the words and symbols “fax number(s),” shall be omitted;
- b) in clause (d), the words and symbols “and e-mail of the contact persons(s)”, shall be substituted with the words and symbols “and e-mail of the contact persons(s), compliance officer and principal officer.”

iii) in item 2,

- a) in clause (b), the words “address proof” shall be substituted with “details of address”;
- b) clause (d) shall be substituted with the following, namely –

“(d) Number of persons associated with research services

(Provide details thereof, including self-certified copies of supporting documents in respect of qualification for such persons associated with research services).”;

c) clause (g) and clause (h) shall be omitted.

iv) item 4 shall be substituted with the following, namely -

“4. DECLARATION OF NECESSARY INFRASTRUCTURE

Declaration that the applicant has the necessary infrastructure to effectively discharge the activities of a research analyst.”

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./502/2025-26]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, were published in the Gazette of India on September 01, 2014 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2014-15/07/1414.
2. The Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014 were subsequently amended on, –
 - a. 8th December, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/023.
 - b. 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - c. 16th March, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) (Amendment) Regulations, 2021 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/09.
 - d. 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
 - e. 17th January 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115.

- f. 7th February, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.
- g. 3rd July 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.
- h. 17th August 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.
- i. 26th April 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) (Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/170.
- j. 19th August, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/199.
- k. 16th December, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) (Third Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/220.
- l. 6th August, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) (Amendment) Regulations, 2025 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/252.